

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाव्वा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:- पूजा मीना आर.ए.एस  
उनवान

1. लक्ष्मीकान्त बनाम जीतेन्द्र जाति, मीना निवासी चूरपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादी)

बनाम

1. जीतेन्द्र पुत्र बीरबल मीना
  2. ममता पत्नि जीतेन्द्र मीना
  3. रामसिंह पुत्र बीरबल मीना
  4. लालीदेवी पत्नि रामसिंह मीना
- निवासीयान चूरपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा


मु0न0:- 73/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट व श्री ..... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व निम्नानुसार डिक्री दी जाती है कि

अतः ग्राम चूरपुरा की आराजी ख0न0 219/0.75, 23/0.76 है0 मे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजीयात मे वादी के हिस्से की आराजी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.04.2025 को जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम, जिला-करौली

